प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 16.01.2026

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल तथा अभियुक्तों की निशानदेही से चोरी की 01 मोटर साइकिल व चोरी का 01 क्षतिग्रस्त ऑटो रिक्शा बरामद ।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 15/16.01.2026 की रात्रि को थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्त 1. तुषार पुत्र रामेशचन्द्र निवासी गली नं0 2 इन्द्रा गार्डन नियर तिवारी चौक खोडा कॉलोनी गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष व 2. खैमराज पुत्र स्व0 बलबीर सिंह निवासी सीएन/18 खसरा नं0 904/319 सपेरा बस्ती घडौली थाना गाजीपुर दिल्ली उम्र करीब 26 वर्ष को नहर पटरी पर बाबा बैंकेट हाल यूपी दिल्ली बॉर्डर से चोरी की 01 मोटर साइकिल तथा अभियुक्तों की निशानदेही इन्दिरापुरम अण्डरपास की झाडियों से चोरी की 01 मोटर साइकिल व चोरी का 01 क्षतिग्रस्त ऑटो रिक्शा सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 303(2), 317(2), 317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि दोनों अभियुक्तों से बरामद दोनों मोटर साइकिल में से एक मोटर साइकिल को साहिबाबाद डीएलएफ से तथा दूसरी मोटर साइकिल को कुछ दिन पहले पटपड़गंज दिल्ली से चोरी किया था एवं कुछ दिन पहले बरामद ऑटो रिक्शा को वन्दना एन्कलेव खोडा से चोरी किया था। जिसे इन्दिरापुरम अण्डरपास की झाडियों में छिपा कर रखा था। इसीक्रम में दोनों अभियुक्त मोटर साइकिल को लेकर चोरी किये वाहनों को बेचने की फिराक में जा रहे थे कि पुलिस ने चैकिंग दौरान पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पताः-

1. तुषार पुत्र रामेशचन्द्र निवासी गली नं0 2 इन्द्रा गार्डन नियर तिवारी चौक खोडा कॉलोनी गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।
2. खैमराज पुत्र स्व0 बलबीर सिंह निवासी सीएन/18 खसरा नं0 904/319 सपेरा बस्ती घडौली थाना गाजीपुर दिल्ली उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

चोरी की 01 मोटर साइकिल तथा अभियुक्तों की निशानदेही से चोरी की 01 मोटर साइकिल व चोरी का 01 क्षतिग्रस्त ऑटो रिक्शा बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना खोडा, दिल्ली एनसीआर में चोरी, अवैध शराब, अवैध असलहा के 05 अभियोग एवं जनपद बलिया में वाहन चोरी व छेड़खानी के सम्बन्ध में 02 अभियोग कुल 07 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना खोडा पुलिस टीम।

03 अभियुक्तों को जिला बदर किये जाने के सम्बन्ध में

कमिश्नरेट गाजियाबाद में इस सप्ताह दिनांक 16.01.2026 को न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, कानून व्यवस्था/यातायात कमिश्नरेट गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के अन्तर्गत सुनवाई के उपरान्त चोरी/लूट की घटना कारित करने जैसे सम्बन्धी आदि अपराधों में लिप्त निम्नलिखित 03 विपक्षी/ अभियुक्तों को गुण्डा घोषित कर 06 माह के लिये जनपद गाजियाबाद की सीमाओं से बहिष्कासन (जिला बदर) किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। निम्नांकित अभियुक्तों/गुण्डों द्वारा उपरोक्त अपराध शीर्षक में लिप्त होने के उपरान्त जनता में इनका इतना भय व्याप्त है कि जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरुद्ध कोई रिपोर्ट पंजीकृत कराने व साक्ष्य देने का साहस नहीं जुटा पाता है। इनके जनपद गाजियाबाद की सीमाओं से बहिष्कासन (जिला बदर) हो जाने के उपरान्त आम-जनमानस में भयमुक्त, अपराधमुक्त एवं शांति पूर्ण माहौल होने का विश्वास पैदा होगा :-

क्र0सं0	वाद संख्या	थाना	विपक्षी का नाम व पता	आपराधिक इतिहास
1	214/2025	लिंक रोड	सोनू पुत्र इस्लाम निवासी खान मार्किट महाराजपुर थाना लिंकरोड, कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 20/2023 धारा 392 भादवि थाना लिंकरोड, 2. मु0अ0सं0 348/2023 धारा 380,411 भादवि थाना लिंकरोड
2	232/2025	टीला मोड	चेतन पुत्र मुकेश कुमार निवासी जाटव मौहल्ला निकट गुलशन स्कूल डिफेन्स कालोनी भोपुरा थाना टीलामोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 410/2024 धारा 304,317(2) बीएनएस थाना टीलामोड़, 2. मु0अ0सं0 560/2023 धारा 392,411 भादवि थाना कोतवाली,
3	309/2025	ट्रोनिका सिटी	बिट्टू पुत्र लीलू निवासी ग्राम पचायरा थाना ट्रोनिका सिटी, कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 358/2020 धारा 379,411 भादवि व 4/21 खान एवं खनिज विकास अधि0 थाना ट्रोनिका सिटी, 2. मु0अ0सं0 488/2025 धारा 303(2) बीएनएस व 4/21 खान एवं खनिज विकास अधि0 थाना ट्रोनिका सिटी

यह भी उल्लेखनीय है कि कमिश्नरेट गाजियाबाद में वर्ष-2025 में अब तक कुल 160 एवं वर्ष **2026 में 06**-विपक्षी/अभियुक्तों को गुण्डा घोषित कर 06 माह के लिये जनपद की सीमाओं से बहिष्कासन (जिला बदर) तथा वर्ष-2025 में अब तक कुल 96 एवं वर्ष **2026 में** 01- विपक्षी/अभियुक्त को स्थानीय थाने में हाजिरी देने हेतु आदेशित किया गया है।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग का किया सफल अनावरण, 03 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 01 मोबाइल, 03 जोडी पाजेब सफेद धातु, 02 कड़े सफेद धातु व 02 लौंग पीली धातु बरामद ।

दिनांक 28.11.2025 को वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर से एक मोबाइल रेड मी व पत्नी की पायल व अन्य वस्तु अज्ञात द्वारा चोरी कर ली गयी है । जिसके संबंध में थाना लोनी बार्डर पर तत्काल सुसंगत धारा- 305 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु टीम गठित की गयी ।

तत्पश्चात दिनांक 15.01.2026 को मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त चोरी की घटना का अनावरण करते हुए, घटना कारित करने वाले अभियुक्त गण 1. आदिल पुत्र जफर निवासी भोपुरा थाना टीला मोड गाजियाबाद 2. राहुल उर्फ लोकडी पुत्र सोरन सिंह निवासी तिरंगा कालोनी फरूखनगर थाना टीला मोड गाजियाबाद 3. मोनू पुत्र चंद्रपाल निवासी भोपुरा थाना टीला मोड गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी के 01 मोबाइल फोन, 03 जोडी पाजेब सफेद धातु, 02 कड़े सफेद धातु व 02 लौंग पीली धातु बरामद की गयी । बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा-317(2) बीएनएस की वृद्धि कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान बताया कि करीब डेढ माह पूर्व हम चार साथी जिसमें हम तीनों तथा चेतू उर्फ कृष्णा निवासी फरूखनगर थाना टीला मोड गाजियाबाद ने मिलकर सोनू सिटी सेवाधाम क्षेत्र में एक बंद मकान का ताला तोड कर चोरी किये थे । चोरी में एक मंगलसूत्र तथा एक जोडा कान की बाली तथा यह बरामद तीन जोडा पाजेब, 02 कडा चांदी के व 02 लौंग सोने की तथा एक मोबाइल फोन मिला था । मंगलसूत्र तथा कान की बाली चेतू उर्फ कृष्णा ने अपने पास रख लिया था और कहा था कि यह बेचकर हम लोगों को बराबर हिस्सा दे देगा । यह बरामद सामान हम लोगो के पास था । हमारा साथी चेतू उर्फ कृष्णा बागपत में पुलिस द्वारा पकडा गया जिसे पुलिस ने जेल भेज दिया है। हम तीनों साथी यह सामान बेचने को निकले थे कि आप लोगों ने पकड लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम व पता–

1. आदिल पुत्र जफर निवासी भोपुरा थाना टीला मोड गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष
2. राहुल उर्फ लोकडी पुत्र सोरन सिंह निवासी तिरंगा कालोनी फरूखनगर थाना टीला मोड गाजियाबाद, उम्र करीब 32 वर्ष
3. मोनू पुत्र चंद्रपाल निवासी भोपुरा थाना टीला मोड गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष

बरामदगी का विवरण -

चोरी का 01 मोबाइल फोन, 03 जोडी पाजेब सफेद धातु व 02 कड़े सफेद धातु व 02 लौंग पीली धातु बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है, इसके अतिरिक्त अभियुक्त आदिल पर थाना टीलामोड पर चोरी का 01 अभियोग, आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त राहुल उर्फ लोकडी के विरुद्ध थाना टीलामोड पर चोरी का 01 अभियोग, एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त मोनू पर थाना टीलामोड पर चोरी के 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अवैध गांजा की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 469 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

दिनांक 15.01.2026 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर गांजा की तस्करी करने वाले 02 गांजा तस्कर अभियुक्त 1. गोलू खान पुत्र निजाम निवासी कल्लूगढी थाना मसूरी गाजियाबाद 2. कैफ पुत्र नियाज मोहम्मद निवासी कल्लूगढी थाना मसूरी गाजियाबाद को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पुल के नीचे चौकी क्षेत्र जेल से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 01 किलो 469 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना मसूरी पर अभियुक्त गण के विरूद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त गण ने पूछताछ करने पर बताया कि यह गांजा हम चोरी-छिपे दिल्ली से लेकर आये थे तथा गांजा की पुडिया बनाकर बेचने जा रहे थे कि आप लोगो ने हमें पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम व पता-

1. गोलू खान पुत्र निजाम निवासी कल्लूगढी थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष

2. कैफ पुत्र नियाज मोहम्मद निवासी कल्लूगढी थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

01 किलो 469 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त गण के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मसूरी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा अवैध गांजा की तस्करी करने वाले 01 अभियुक्त व 01अभियुक्ता गिरफ्तार, दोनो के कब्जे से कुल 03 किलो 266 ग्राम अवैध गांजा, 2800/- रुपये नकद बरामद।

दिनांक 16.01.2026 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा सर्च अभियान के तहत अवैध गांजा की तस्करी करने वाले अभियुक्त मो0 अदनान उर्फ राजा पुत्र मो0 इरफान निवासी पप्पू डीलर के मकान के पास में गली नं 20 पेट्रोल पम्प के पास नीयर जामा मस्जिद यमुना विहार थाना भजनपुरा दिल्ली मूल निवासी ग्राम व पोस्ट-बरूकी नगीना मार्ग थाना कोतवाली जिला बिजनोर उम्र 18 वर्ष व अभियुक्ता रजनी पत्नि फुरकान निवासी 954 लाल क्वार्टर सुदामापुरी थाना क्रॉसिंग उम्र 27 वर्ष को जल प्लांट रोड से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 03 किलो 266 ग्राम अवैध गांजा व गांजा की बिक्री के 2800/- रुपये बरामद हुए। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व 61(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तो ने पूछताछ करने पर बताया कि हम लाल क्वाटर सुदामापुरी की रहने वाली शबनम से हम कम दामो पर गांजा लेकर आते है तथा गांजे को छोटी-छोटी पुडिया बनाकर गांजा पीने वाले लोगो को अधिक दामो पर बेचकर अच्छा मुनाफा कमाते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. मो0 अदनान उर्फ राजा पुत्र मो0 इरफान निवासी पप्पू डीलर के मकान के पास में गली नं 20 पेट्रोल पम्प के पास नीयर जामा मस्जिद यमुना विहार थाना भजनपुरा दिल्ली मूल निवासी ग्राम व पोस्ट-बरूकी नगीना मार्ग थाना कोतवाली जिला बिजनोर उम्र 18 वर्ष।
2. रजनी पत्नि फुरकान निवासी 954 लाल क्वार्टर सुदामापुरी थाना क्रॉसिंग उम्र 27 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

03 किलो 266 ग्राम अवैध गांजा, 2800/- रुपये बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्तो के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा महिला अभियुक्ता रजनी उपरोक्त के विरुद्ध थाना विजयनगर गाजियाबाद NDPS ACT

के सम्बन्धित 03 अभियोग व आबकारी अधि0 के तहत 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा अवैध गांजा की तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 02 किलो 360 ग्राम अवैध गांजा, 1050 रुपये नकद बरामद।

दिनांक 15.01.2026 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा सर्च अभियान के तहत अवैध गांजा की तस्करी करने वाले अभियुक्त रवि पुत्र राकेश निवासी ग्राम छर्रा भमोरी कला थाना छर्रा जनपद अलीगढ़ वर्तमान पता लाल क्वार्टर सुदामापुरी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष को सुदामापुरी लाल क्वाटर्स के पास खाली पडे प्लॉट से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 02 किलो 360 ग्राम अवैध गांजा व गांजा की बिक्री के 1050/- रुपये बरामद हुए। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं गाजा पीने का आदि हूँ मैं यह गाजा उडीसा से कम दाम पर खरीद कर लाता हूँ। पैसे कमाने के लालच मे छोटी छोटी पुडिया मे रखकर लाल क्वाटर सुदामापुरी मे बेच देता हूँ जिससे मैं अच्छे पैसे कमा लेता हूं तथा मेरा गाजा पीने का भी काम चल जाता है और मैं अपने खर्चे भी पूरे कर लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

रवि पुत्र राकेश निवासी ग्राम छर्रा भमोरी कला थाना छर्रा जनपद अलीगढ़ वर्तमान पता लाल क्वार्टर सुदामापुरी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

02 किलो 360 ग्राम अवैध गांजा, 1050/- रुपये बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

स्वॉट टीम ट्रांस हिण्डन एवं थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा आर्थिक नुकसान पहुँचाकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाला 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 19.12.2025 को थाना साहिबाबाद पर वादिया ने लिखित तहरीर दी और बताया कि वादिया के पति निखिल तनेजा जिनका संगम सेगरी (होण्डा) के साथ बिजनेस था। संगम सेंगरी के मालिक श्रीमती प्रीति नरुला व रोहित नरुला, मैनेजर अकिंत त्यागी तथा कोषाध्यक्ष इनायत से वादिया के पति को काफी मोटा पैसा लेना था। वादिया के पति द्वारा पैसे मांगने पर उपरोक्त सभी लोग लगातार टालमटोल कर रहे थे। वादिया के पति दिनांक 16.12.2025 को सगांम सेगरी के पास पैसे के लिए गए

तो उन्होने पैसे देने से पूर्णातया मना कर दिया और धमकी भरे लहजे में कहा कि दुबारा आए तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद वादिया के पति शाम को जब घर आए तो वह बहुत ज्यादा परेशान थे, वादिया के बार बार पूछने पर उन्होंने कहा कि मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए और बताया कि संगम सेंगरी वालों ने पैसे देने से साफ मना कर दिया और धमकी भरे लहजे में कहा है कि दुबारा यहां आने की आवश्यकता नहीं है। वादिया ने अपने पति से कहा कि कोई बात नहीं कुछ दिन में सब सही हो जाएगा तो वादिया के पति कहने लगे कि मेरा भविष्य zero हो गया तथा मेरे पूरे जीवन का पैसा भी zero हो गया, मैं अपने बच्चों का पालन पोषण किस तरह करूंगा। इन्हीं बातों को दिमाग में रखते हुए वादिया के पति ने पेट्रोल डालकर अपने आपको आग को हवाले कर दिया। आग लगाने से पहले उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा था जो अपने जीजा जी श्री प्रमोद जुल्का के मोबाइल नम्बर पर व्हाट्सएप किया था। जिसके क्रम में तत्काल थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा वादिया की प्राप्त तहरीर के आधार पर धारा 108 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त घटनाक्रम आज दिनांक 16.01.2026 को स्वॉट टीम ट्रांस हिण्डन एवं थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट व सीसीटीवी फुटेज की सहायता से मुखबिर की सूचना के आधार पर आर्थिक नुकसान पहुँचाकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाला 01 अभियुक्त रोहित नरुला पुत्र स्व0 गिरीश नरुला निवासी बी-302 वीवीआईपी सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन थाना नन्दग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 43 वर्ष एवं 01 अभियुक्ता प्रीति नरुला उर्फ प्रीति कौशल पत्नि रोहित नरुला निवासी बी-302 वीवीआईपी सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन थाना नन्दग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 46 वर्ष को नागद्वार के पास साहिबाबाद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये है कि मृतक निखिल तनेजा अभियुक्त व अभियुक्ता उपरोक्त से दोपहिया वाहनों का विक्रय करता था। जिसके कमीशन के रूपये को लेकर अभियुक्त व अभियुक्ता उपरोक्त व मृतक के मध्य वाद-विवाद हुआ। जिसमें अभियुक्त व अभियुक्ता उपरोक्त द्वारा मृतक निखिल तनेजा को कमीशन के पैसे देने से मना कर दिया था। इन्हीं बातों को दिमाग में रखते हुए मृतक निखिल तनेजा ने पेट्रोल डालकर अपने आपको आग को हवाले कर दिया।

गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता का नाम व पता:-

1. रोहित नरुला पुत्र स्व0 गिरीश नरुला निवासी बी-302 वीवीआईपी सोसाइटी राजनगर एक्सटेशन थाना नन्दग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 43 वर्ष।
2. प्रीति नरुला उर्फ प्रीति कौशल पत्नि रोहित नरुला निवासी बी-302 वीवीआईपी सोसाइटी राजनगर एक्सटेशन थाना नन्दग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 46 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर आर्थिक नुकसान पहुंचाकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपरिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

स्वॉट टीम ट्रांस हिण्डन एवं थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।